!! श्री !!

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

बसंतीबाई पति स्व. श्री बाबूलालजी, आयु 65 वर्ष, धंधा–कृषि एवं गृहकार्य, निवासी–65, बेगमपुरा, उज्जैन ....प्रार्थी/अपीलांट

विरूद्ध

प्रेमचंद पिता श्री गेंदालाल माली, आयु 44 वर्ष, धंधा–कृषि, निवासी–ग्राम जीवनखेडी, तहसील व जिला उज्जैन ......प्रतिप्रार्थी/रेस्पोडेंट

विषय :– धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत निगरानी।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की और से निम्नलिखित निगरानी अवधि में प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

01. यह कि, ग्राम जीवनखेडी तहसील व जिला उज्जैन में भूमि सर्वे नंबर 54/7/2 स्थित हैं, जिसमें से 3 बीसवा भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट के पति श्री बाबूलालज यादव ने अपना कब्जा होने से राजस्व अभिलेख में कब्जा दर्ज कराये जाने के संबंध एक आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2012 को अधीनस्थ योग्य विचारण न्यायालय के सम प्रस्तुत किया था, जो अधीनस्थ योग्य विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार करते आदेश दिनांक 08.02.2013 के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के पति का नाम उक्त भूमि कब्जे के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने संबंधी आदेश पारित किया, आदेश के पालन में प्रार्थी/अपीलांट के पति का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज तत्पश्चात् प्रार्थी/अपीलांट के पति का स्वर्गवास हो गया हैं, तत्पश्चात् प्रार्थी/अपील ... विवादित भूमि पर कब्जेदार के रूप में राजस्व अ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2861–पीबीआर/2016 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–8–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री धमेन्द्र चर्तुवेदी अभिभाषक उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। 2/ यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन जिला उज्जैन के प्रकरण कमांक 59/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 23–8–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्त का तर्क है उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई है परन्तु वर्तमान में अपर आयुक्त के पद नये अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण न करने के कारण उनके प्रकरण की सुनवाई नहीं हो पा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई में विलंब होने के कारण यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थगित नहीं किया गया तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जा चुकी है, इस कारण इस निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थगित करने के तर्क का प्रश्न है विचारोपरांत न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के प्रकरण कमांक 59/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 23–8–16 का कियान्वयन आगामी तीन माह अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित किये जाने (जो भी पहले हो) तक स्थगित किया जाता है। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निरकृत की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	